FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

लालाराम बनाम मन्थलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 267/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम गिठाला ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/9/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो। [signature]	
14/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधि-	

[signature]

Scanned by CamScanner

वक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत सेढा सेढ आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के सेढो पर जो पुरानी मेढ व कोने आये हुए थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के सेढो पर कोई किसी भी प्रकार की पक्की कच्ची मेढ या सीमा चिन्ह आदि अंकित नहीं होने से बरसात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेथ्यमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेथ्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेथ्यमबन्दी आदेश किया जावे। तहसीलदार गिड़ा ने बताया कि मौके पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के बिच तनाजा है।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेथ्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त व संबंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेथ्यमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क रुपये-500/- जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature]

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्र/वाद/2019/748 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

लालाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट
निवासी केसुम्बला भाटीयान

अचलाराम पुत्र चौखाराम वगैरा
निवासी केसुम्बला भाटीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 267/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जोरोणियों की ढाणी व केसुम्बला भाटीयान पटवार हल्का केसुम्बला भाटीयान तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 165, 236/164, 172, 292/175 रकबा कमशः 91.02, 6.02, 80.06, 24.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2019/749-53 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी केसुम्बला भाटीयान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लालाराम पुत्र चौखाराम
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र चौखाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.16 20:07:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: